रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01102021-230094 CG-DL-E-01102021-230094

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

### प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 562]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 30, 2021/ आश्विन 8, 1943

No. 562]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 30, 2021/ASVINA 8, 1943

# नागर विमानन मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 679(अ).—वायुयान नियम, 1937 कतिपय नियमों को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप, जिन संशोधनों को केंद्रीय सरकार वायुयान अधिनियम, 1937 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करना प्रस्तावित करती है, को इससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों की सूचनार्थ उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा यथोपेक्षित एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर भारत के राजपत्र, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित होती है, की जिन प्रतियों पर अंकित तारीख से तीस दिन की अवधि के बाद विचार किया जाएगा, वे जनता को उपलब्ध कराई जाती है:

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हो, नागर विमानन महानिदेशक, सफरदजंग हवाईअड्डे के सामने, नई दिल्ली – 110003 को संबोधित किए जा सकते हैं या dgoffice.dgca@nic.in को ईमेल किए जा सकते हैं;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति की ओर से उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि से पहले प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति या सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

5556 GI/2021 (1)

#### प्रारूप नियम

- 1. (1) इन नियमों को वायुयान (....संशोधन) नियम, 2021 कहा जा सकता है।
- (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवर्तित होंगे।
- 2. वायुयान नियम, 1937 में, -
- क) नियम 3 में, -
  - (i) उपबंध (11) को उपबंध (10घ) अनुक्रमित किया जाएगा, और इस प्रकार पुन-अनुक्रमित उपबंध (10घ) के बाद पर, निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा, नामत:-
    - "(11) "मूल उपकरण उड़ान प्रशिक्षक" से ऐसा यंत्र अभिप्रेत है जो उपयुक्त उपकरणों से युक्त है, और जो उपकरण उड़ान स्थितियों में उड़ान में किसी विमान के फ्लाइट डैक वातावरण को उत्प्रेरित करता है;";
    - (ii) उपबंध (21क) को उपबंध (21कक) अनुक्रमित किया जाएगा, और इस प्रकार पुन-अनुक्रमित उपबंध (21कक) से पहले, निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा, नामत :—
      - "(21क) "उड़ान डिस्पेचर" से उड़ान प्रचालनों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में नियोजित होने के लिए प्रचालक द्वारा पदनामित व्यक्ति अभिप्रेत है, जो उड़ान के संरक्षित संचालन के लिए मुख्य पायलट (पायलट-इन-कमांड) को समर्थन देता है, ब्रीफ करता है और सहायता देता है;";
  - (ii) उपबंध (21ग) के बाद पर, निम्नलिखित उपबंध जोड़ा जाएगा, नामत:-
    - "(21घ) "उड़ान प्रक्रिया प्रशिक्षक" से एक ऐसा उपकरण अभिप्रेत है जो एक यथार्थवादी उड़ान डेक वातावरण प्रदान करता है, और जो उपकरण प्रतिक्रियाओं, यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक आदि के सरल नियंत्रण कार्यों, विमान प्रणालियों और एक विशेष श्रेणी के विमान के निष्पादन और उड़ान विशेषताओं का अनुकरण करता है;
    - (21ड.) "उड़ान सिम्युलेटर" से ऐसा उपकरण है जो एक विशेष विमान प्रकार के उड़ान डेक का सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, जिस सीमा तक यांत्रिक, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक आदि, विमान प्रणाली नियंत्रण कार्य, उड़ान चालक दल के सदस्यों के सामान्य वातावरण और प्रदर्शन और उस प्रकार के विमानों की उड़ान विशेषताओं को यर्थाथपरक रूप से अनुकरण किया जाता है;
    - (21च) "उड़ान सिमुलेशन प्रशिक्षण उपकरण" से उड़ान सिम्युलेटर, उड़ान प्रक्रिया प्रशिक्षक या मूल उपकरण उड़ान प्रशिक्षक अभिप्रेत है जिसमें जमीन पर उड़ान की स्थिति का अनुकरण किया जाता है।;";
  - (iii) उपबंध (33ग) को निम्नलिखित उपबंध से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—

"(33ग) "अनुरक्षण" से कोई विमान, इंजन, प्रोपेलर या संबद्ध भाग पर कार्यों का निष्पादन अभिप्रेत है, जो किसी विमान, इंजन, प्रोपेलर या संबद्ध भाग की निरंतर उड़ान योग्यता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, जिसमें ओवरहाल, निरीक्षण, प्रतिस्थापन, दोष सुधार, और किसी आशोधन या मरम्मत की अभिव्यक्ति भी शामिल है;";

- (iv) उपबंधों (48कक) और 48(ख) को, निम्नलिखित उपबंधों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—
- "(48कक) "संरक्षा" से वह स्थिति अभिप्रेत है जिसमें विमान के प्रचालन से संबंधित, अथवा इसके प्रत्यक्ष समर्थन में विमानन गतिविधियों से संबद्ध जोखिम कम हो जाते हैं और एक स्वीकार्य स्तर तक नियंत्रित हो जाते हैं।

स्पष्टीकरण – इस उपबंध के प्रयोजनार्थ, "स्वीकार्य स्तर" संरक्षा का वह न्यूनतम स्तर है जिसकी वास्तविक व्यवहार में किसी प्रणाली द्वारा आश्वस्ति हो;

- (48ख) "सुरक्षा डेटा" से विभिन्न विमानन-संबंधित स्रोतों से एकत्र किए गए तथ्यों का एक परिभाषित सेट या सुरक्षा मूल्यों का सेट अभिप्रेत है, जिसका उपयोग संरक्षा को अनुरक्षित रखने या इसमें सुधार लाने के लिए किया जाता है;
- (48ग) "संरक्षा सूचना" से किसी दिए गए संदर्भ में संसाधित, व्यवस्थित या विश्लेषण किए गए सुरक्षा डेटा अभिप्रेत है ताकि इसे सुरक्षा प्रबंधन उद्देश्यों के लिए उपयोगी बनाया जा सके;
- (48घ) "सुरक्षा निगरानी" से किसी राज्य द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए निष्पादित किया गया कार्य अभिप्रेत है कि विमानन गतिविधि करने वाले व्यक्ति और संगठन सुरक्षा संबंधी राष्ट्रीय कानूनों और विनियमों का अनुपालन करते हैं।.;"
- ख) नियम 29(घ) को 29घ के रूप में पुन-अनुक्रमित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:अनुक्रमित नियम 29घ के बाद, निम्नलिखित नियम जोड़े जाएंगे. नामत:—
  - **"29ड. अनिवार्य संरक्षा रिपोर्टिंग प्रणाली-**नागर विमानन महानिदेशालय वास्तविक या संभावित संरक्षा खामियों पर संरक्षा डेटा और संरक्षा सूचना संग्रहीत करने की सुविधा के लिए एक अनिवार्य संरक्षा रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करेगा और इसके लिए प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करेगा।
  - 29च. स्वैच्छिक संरक्षा रिपोर्टिंग प्रणाली.— (1) नागर विमानन महानिदेशालय वास्तविक या संभावित सुरक्षा खामियों पर संरक्षा डेटा और संरक्षा सूचना संग्रहीत करने की सुविधा के लिए एक स्वैच्छिक संरक्षा रिपोर्टिंग प्रणाली स्थापित करेगा, जिन्हें नियम 29ड. के तहत स्थापित अनिवार्य संरक्षा रिपोर्टिंग प्रणाली द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता है।
  - (2) उप-नियम (1) के तहत स्थापित स्वैच्छिक संरक्षा रिपोर्टिंग प्रणाली गैर-दंडात्मक होगी और स्वैच्छिक संरक्षा रिपोर्टिंग प्रणाली और संबंधित स्रोतों से प्राप्त संरक्षा डेटा और संरक्षा जानकारी से संरक्षण प्रदान

करेगी। यदि केंद्रीय सरकार द्वारा समीचीन समझा जाए, तो संरक्षा डेटा और संरक्षा सूचना किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से एकत्र की जा सकती है।

- (3) उप-नियम (1) के तहत इस प्रकार एकत्र किए गए संरक्षा डेटा और संरक्षा जानकारी की इस प्रकार संभलाई की जाएगी ताकि संरक्षा के अतिरिक्त अन्य प्रयोजनों के लिए इसके उपयोग को रोका जा सके, और उचित रूप से सुरक्षित रखा जाएगा और रिपोर्ट करने वाले व्यक्ति की पहचान के बारे में गोपनीयता बनाए रखी जाएगी।";
- ग) नियम 30 में, उप-नियम (1क) के बाद, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, नामत:—
  - "(1ख) केंद्रीय सरकार, निर्धारित शुल्क के साथ-साथ आवेदन प्राप्त होने पर, एक वर्ष की अवधि, जिसे एक बार में एक वर्ष और विस्तार दिया जा सकता है के लिए एक पंजीकरण चिह्न आरक्षित कर सकती है।";
- घ) नियम 35 में, उप-नियम (4) के बाद, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, नामत:—
  - "(3ख) एक पंजीकरण चिह्न आरक्षित करने के लिए 10,000/- का शुल्क देय होगा और ऐसे आरक्षण को एक बार में 10,000/- के भुगतान पर आगे बढ़ाया जा सकता है।
  - (4) शुल्क का भुगतान महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।";
- ङ) नियम 38ख के बाद, निम्नलिखित उप-नियम जोड़ा जाएगा, नामत:—
  - **"38ग. उड़ान डिस्पेचर अनुमोदन.** (1) कोई भी प्रचालक महानिदेशक के पूर्वानुमोदन के बिना किसी व्यक्ति को फ्लाइट डिस्पैचर के रूप में कार्य नहीं सौंपेगा।
  - (2) उड़ान डिस्पैचर का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए एक प्रचालक निर्धारित शुल्क के साथ महानिदेशक को आवेदन कर सकता है।
  - (3) महानिदेशक उड़ान डिस्पैचर के अनुमोदन के लिए आवश्यकताओं को विनिर्दिष्ट कर सकते हैं।
  - (4) महानिदेशक, इस प्रकार संतुष्ट होने पर कि किसी व्यक्ति ने फ्लाइट डिस्पैचर के रूप में कार्य करने के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा कर लिया है, प्रचालक को उड़ान डिस्पैचर का अनुमोदन प्रदान कर सकता है।
  - (5) उप-नियम (4) के तहत दिया गया अनुमोदन, जब तक इसे निलंबित या रद्द नहीं किया जाता है, पांच साल से अधिक की अविध के लिए वैध रहेगा, और संतुष्ट होने पर, महानिदेशक इसे एक बार में पांच साल से अधिक की अविध के लिए नवीनीकृत कर सकते हैं।
  - (6) उड़ान डिस्पैचर के रूप में अनुमोदन के लिए शुल्क पांच हजार रुपए और उड़ान डिस्पैचर अनुमोदन के नवीकरण के लिए शुल्क मात्र दो हजार पांच सौ रुपए होगा।
  - (7) शुल्क का भुगतान महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा";

च) नियम 29ग में, उप-नियम (1), तालिका को, निम्नलिखित तालिका से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत :-

| क्रसं. | लाइसेंस की श्रेणी   | चिकित्सा स्वस्थता<br>मूल्यांकन की वैधता | लाइसेंस की वैधता                            |
|--------|---|---|---|
| (1)    | (2)   | (3)                                     | (4)   |
| (i)    | एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट का लाइसेंस (विमान या<br>हेलीकॉप्टर)   | बारह महीने                              | दस साल                                      |
| (ii)   | वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस (विमान या हेलीकॉप्टर) और<br>उड़ान दिक्चालन का लाइसेंस   | बारह महीने                              | दस साल                                      |
| (iii)  | फ्लाइट रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर का लाइसेंस   | बारह महीने                              | रेडियो टेलीफोन<br>की वैधता तक<br>प्रतिबंधित |
| (iv)   | प्रशिक्षु पायलट का लाइसेंस (विमान या हेलीकॉप्टर या<br>जाइरोप्लेन या माइक्रोलाइट विमान या हल्के स्पोर्ट्स<br>विमान या ग्लाइडर या बैलून), प्रशिक्षु उड़ान नेविगेटर का<br>लाइसेंस और प्रशिक्षु उड़ान इंजीनियर लाइसेंस                                  | चौबीस महीने                             | दस साल                                      |
| (v)    | निजी पायलट लाइसेंस (विमान या हेलीकॉप्टर), पायलट का<br>लाइसेंस (माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट या जायरोप्लेन या लाइट<br>स्पोर्ट एयरक्राफ्ट या ग्लाइडर या गुब्बारे), फ्लाइट रेडियो<br>टेलीफोन ऑपरेटर का लाइसेंस (प्रतिबंधित) और फ्लाइट<br>इंजीनियर का लाइसेंस | चौबीस महीने                             | दस साल                                      |

- छ. नियम 41क में, उप-नियम (3) के पश्चात , निम्नलिखित उप-नियम शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:
- "(3क) महानिदेशक चेक पायलटों और परीक्षकों के अनुमोदन के लिए आवश्यकताओं को विनिर्दिष्ट कर सकते हैं।
- (3ख) उप-नियम (3) के तहत दिया गया अनुमोदन, जब तक निलंबित या रद्द नहीं किया जाता है, पांच वर्ष से अधिक की अविध के लिए वैध रहेगा, और संतुष्ट होने पर, महानिदेशक इसे एक समय में ऐसी अविध के लिए आगे नवीकृत कर सकते हैं जो पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (3ग) महानिदेशक, उप-नियम (3) के तहत अनुमोदित चेक पायलटों और परीक्षकों के मानकीकरण जांच के लिए परीक्षकों की नियुक्ति भी कर सकते हैं और उस तरीके को विनिर्दिष्ट कर सकते हैं जिसमें इस तरह की जांच की जाएगी।
- ज. नियम 41ख में.-
- i. शीर्षक में, "स्वीकृत" शब्द के स्थान पर "उड़ान" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- ii. उप-नियम (4) में, खंड (ग) में, "दो वर्ष की अवधि" शब्दों के स्थान पर, "पांच वर्ष से अनधिक अवधि" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे और परंतुक को हटा दिया जाएगा;
- iii. उपनियम (5) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-
- "(5) शुल्क का भुगतान महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किया जाएगा।";

झ. नियम 41ख के पश्चात, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"41ग. उड़ान सिम्युलेशन प्रशिक्षण उपकरण योग्यता प्रमाणपत्र -

1. संगठन, उड़ान सिम्युलेशन प्रशिक्षण उपकरण के योग्यता प्रमाणपत्र हेतु या संविकारी राष्ट्र के नागर विमानन प्राधिकरण द्वारा उड़ान सिम्युलेशन प्रशिक्षण उपकरण के संबंध में जारी योग्यता प्रमाणपत्र के सत्यापन के लिए महानिदेशक को निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन कर सकता है।

स्पष्टीकरण - इस उप-नियम के प्रयोजन हेतु, संगठन का अर्थ है:

- (क) एक ऑपरेटर;
- (ख) इन नियमों के तहत अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन; या
- (ग) उड़ान सिम्युलेशन प्रशिक्षण उपकरण के संचालन और रखरखाव के लिए संविदाकारी राष्ट्र के नागर विमानन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन।
- (2) महानिदेशक, योग्यता प्रमाणपत्र या उड़ान सिम्युलेशन प्रशिक्षण उपकरण के सत्यापन की आवश्यकताओं और ऐसे उपकरणों पर प्रशिक्षण के प्रकार को विनिर्दिष्ट कर सकते हैं।
- (3) महानिदेशक, इस बात से संतुष्ट होने पर कि यह सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, योग्यता प्रमाणपत्र जारी कर सकता है या अन्यत्र जारी किए गए उड़ान सिम्युलेशन प्रशिक्षण उपकरण के योग्यता प्रमाणपत्र को मान्य कर सकता है, जैसा भी मामला हो।
- (4) कोई भी एयरलाइन ऑपरेटर अपने कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए ऐसे योग्य या मान्य उड़ान सिम्युलेशन प्रशिक्षण उपकरण का उपयोग उनके द्वारा विनिर्दिष्ट रूप और तरीके से महानिदेशक द्वारा लिखित अनुमित प्राप्त किए बिना नहीं करेगा।
- (5) यदि महानिदेशक इस बात से संतुष्ट होते हैं कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार है, तो उसे सुनवाई का अवसर देने और कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के पश्चात, ऐसे प्रमाण पत्र या मान्यता को निलंबित या रद्द कर सकता है, जैसा भी मामला हो।
- (6) उप-नियम (3) के तहत प्रदान किया गया योग्यता प्रमाणपत्र या मान्यता, जब तक निलंबित या रद्द नहीं किया जाता है, तब तक दो साल से अधिक की अवधि के लिए वैध रहेगा, और संतुष्ट होने पर, महानिदेशक इसे आगे की अवधि के लिए नवीनीकृत कर सकते हैं जो एक बार में दो वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं होगा।
- (7) 5700 किलोग्राम से अधिक के अधिकतम अनुमेय टेक-ऑफ वजन वाले विमान प्रकार के लिए योग्यता प्रमाणपत्र या उड़ान सिम्युलेशन प्रशिक्षण उपकरण के सत्यापन के लिए शुल्क केवल दो लाख रुपये होगा और ऐसे प्रमाणपत्र या सत्यापन के नवीकरण के लिए शुल्क एक लाख रुपए ही होगी, जैसा भी मामला हो,
- (8) 5700 किलोग्राम तक अधिकतम अनुमेय टेक-ऑफ वजन वाले विमान प्रकार के लिए योग्यता प्रमाण पत्र या उड़ान सिम्युलेटर प्रशिक्षण उपकरण के सत्यापन के लिए शुल्क केवल एक लाख रुपये होगा और ऐसे प्रमाण पत्र या सत्यापन के नवीनीकरण के लिए, जैसा भी मामला हो, फीस पचास हजार रुपए ही होगी।
- (9) दो लाख पचास हजार रुपये की अतिरिक्त राशि या प्रति दिन यात्रा की लागत, जो भी अधिक हो, देय होगी यदि उड़ान सिम्युलेटर प्रशिक्षण के योग्यता प्रमाण पत्र के सत्यापन के जारी या नवीकरण के संबंध में निरीक्षण, लेखापरीक्षा या निगरानी, भारत के बाहर किसी भी स्थान पर की जाती है।
- (10) शुल्क का भुगतान महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।";
- ट. नियम 42 में -
- (i) उप-नियम (1) में, प्रथम परंतुक में, "अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो सकता है" शब्दों को, "पुन:अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक होगा" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) उप-नियम (4) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

- "(5) ऐसे मामले में जहां लाइसेंस की वैधता अवधि के दौरान लाइसेंस के विशेषाधिकारों का प्रयोग 03 साल से अधिक की अविध के लिए नहीं किया गया है, आवेदक को ऐसे लाइसेंस के विशेषाधिकार का प्रयोग करने से पूर्व इस तरह के लाइसेंस जारी करने के लिए आवश्यक परीक्षाओं और कौशल परीक्षणों में अर्हता प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। ";
- (ठ) नियम 48 में, -
- (i) उप-नियम (1) में, खंड (ix) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

| (ix) | जहां परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी : 2500 प्रति पेपर         |
|------|--|
| (x)  | जहां परीक्षा मांग पर ऑनलाइन ली जाएगी : 5000 प्रति पेपर |

ii) उप-नियम (2) में, प्रविष्टि (i) से (iv) को छोड़कर, शीर्षक पाठ को निम्नलिखित पाठ से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"सभी उड़ान परीक्षणों के लिए, उम्मीदवार या ऑपरेटर, जैसा भी मामला हो, को विमान या उड़ान सिम्युलेटर प्रदान करने और इस संबंध में सभी शुल्कों को वहन करने की आवश्यकता होगी, और यदि एक सरकारी परीक्षक को उड़ान परीक्षण या मानकीकरण के दौरान विमान में ले जाया जाता है, तो निम्नलिखित शुल्क केंद्र सरकार को देय होगा, अर्थात्: -";

- (iii) उप-नियम (2क) को निम्नलिखित उप-नियम से प्रतिस्थापित किया जाएंगे, अर्थात्:-
- "(2क) चेक पायलटों या परीक्षकों के अनुमोदन या नवीकरण के लिए, निम्नलिखित शुल्क देय होगा, अर्थात्: -
- (i) चेक पायलटों या परीक्षकों की स्वीकृति: रु. 10,000/-
- (ii) चेक पायलटों या परीक्षकों का नवीकरण: रु. 5,000/-
- (2कक) सेवा शुल्क का भुगतान महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्टानुसार इलैक्ट्रानिक माध्यम से किया जाएगा।";
- I. नियम 61 में, -
- i. उप नियमों (3), (4) तथा (4क) के लिए निम्न उपनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:—
- "(3) विमान रखरखाव अभियांत्रिकी अनुज्ञप्ति को निम्नलिखित श्रेणियों, उप-श्रेणियों, जैसा लागू के अनुसार प्रदान किया जाएगा, नामत: —
- (क) श्रेणी क, को निम्नलिखित उप-श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
- (i) ए1 एइरोप्लेन्स टर्बाइन;
- (ii) ए2 एइरोप्लेन्स पिस्टन;
- (iii) ए3 हेलीकॉप्टर्स टर्बाइन;
- (iv) ए4 हेलीकॉप्टर्स पिस्टन।
- (ख) श्रेणी ख1 को निम्नलिखित उप-श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
- (i) बी1.1 एइरोप्लेन्स टर्बाइन;
- (ii) बी1.2 एइरोप्लेन्स पिस्टन;
- (iii) बी1.3 हेलीकॉप्टर्स टर्बाइन:
- (iv) बी1.4 हेलीकॉप्टर्स पिस्टन।
- (ग) श्रेणी बी2, सभी विमानों पर लागृ है।
- (घ) सभी विमानों पर लागू श्रेणी बी2एल को महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्टानुसार 'सिस्टम रेटिग(ग्स)', जारी की जाएंगी।

- (ङ) श्रेणी बी3, 2000 किलोग्राम के अधिकतम टेक-ऑफ मास (एमटीओएम) एवं उससे नीचे के पिस्टन-इंजन नान-प्रैसराइज्ड एइरोप्लेनों पर लागू है।
- (च) श्रेणी एल को निम्नलिखित उप-श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:
  - (i) एल1सी: कम्पोजिट सेलप्लेन्स
  - (ii) एल1: सेलप्लेन्स
- (iii) एल2सी: कम्पोजिट पावर्ड सेलप्लेन्स एवं कम्पोजिट ईएलए1 एइरोप्लेन्स
  - (iv) एल2: पावर्ड सेलप्लेन्स एवं ईएलए1 एइरोप्लेन्स
  - (v) एल3एच: हॉट-एयर बलून्स
  - (vi) एल3जी: गैस बलून्स
  - (vii) एल4एच: हॉट-एयर एयरशिप्स
  - (viii) एल4जी: ईएलए2 गैस एयरशिप्स
  - (ix) एल5: ईएलए2 के सिवाय अन्य गैस एयरशिप्स

नोट: ईएलए1 तथा ईएलए2 से तात्पर्य महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्टानुसार एक मानवयुक्त विमान से है।

- (छ) सी श्रेणी, एइरोप्लेन्स एवं हेलीकॉप्टरों पर लागू है";
- (4) एक विमान रखरखाव लाइसेंस के धारक के पास, इस नियम के उप-नियम (12) में निर्धारित प्रमाणन विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के लिए उसका लाइसेंस, प्रासंगिक रेटिंगों से समर्थित होना चाहिए:
  - (i) बी1, बी2, बी2एल, सी एवं एल श्रेणी के लिए संबंधित विमान अथवा सिस्टम रेटिंग्स, महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्टानुसार होंगी।
  - (ii) श्रेणी बी3 के लिए, संबंधित रेटिंग '2000 किलोग्राम एमटीओएम तथा इससे कम के पिस्टन-इंजन नान-प्रैसराइज्ड एइरोप्लेन' होगी।
  - (iii) श्रेणी ए के लिए कोई रेटिंग समर्थित नहीं होगी।";
- ii. उप नियम (5), धारा (घ) में, उप धाराओं (i) तथा (ii) के लिए निम्न उप-धाराएं प्रतिस्थापित होंगी, नामतः-
  - "(घ) उसके पास निम्नलिखित न्यूनतम व्यावहारिक अनुभव होगा, नामत:-
    - (i) श्रेणी ए, उप-श्रेणियों बी1.2, बी1.4 तथा श्रेणी बी3 के लिए
    - (क) विमान प्रचालन में तीन वर्ष का व्यावहारिक विमान रखरखाव अनुभव; अथवा
    - (ख) संबंधित सिस्टम रेटिंग को समाहित करते हुए, विमान प्रचालन में दो वर्ष का व्यावहारिक रखरखाव अनुभव तथा विमान रखरखाव में डिग्री हासिल कर ली हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल कर ली हो; अथवा
    - (ग) संबंधित सिस्टम रेटिंग को समाहित करते हुए, विमान प्रचालन में एक वर्ष का व्यावहारिक रखरखाव अनुभव तथा नियम 133बी के अधीन अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन द्वारा संचालित आधारभूत विमान रखरखाव प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।
    - (ii) उप-श्रेणियों बी1.1 तथा बी1.3 तथा श्रेणी बी2 के लिए
    - (क) विमान प्रचालन में पांच वर्षों का व्यावहारिक विमान रखरखाव अनुभव; अथवा

- (ख) संबंधित सिस्टम रेटिंग को समाहित करते हुए, विमान प्रचालन में तीन वर्षों का व्यावहारिक रखरखाव अनुभव तथा विमान रखरखाव में डिग्री हासिल कर ली हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल कर ली हो; अथवा
- (ग) संबंधित सिस्टम रेटिंग को समाहित करते हुए, विमान प्रचालन में दो वर्षों का व्यावहारिक रखरखाव अनुभव तथा नियम 133बी के अधीन अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन द्वारा संचालित आधारभूत विमान रखरखाव प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो।
- (iiक) श्रेणी बी2एल के लिए
- (क) संबंधित सिस्टम रेटिंग को समाहित करते हुए, विमान प्रचालन में तीन वर्षों का व्यावहारिक रखरखाव अनुभव, यदि अभ्यर्थी के पास पिछला कोई संबंधित तकनीकी प्रशिक्षण नहीं है तो; अथवा
- (ख) संबंधित सिस्टम रेटिंग को समाहित करते हुए, विमान प्रचालन में दो वर्षों का व्यावहारिक रखरखाव अनुभव तथा विमान रखरखाव में डिग्री हासिल कर ली हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल कर ली हो; अथवा
- (ग) संबंधित सिस्टम रेटिंग को समाहित करते हुए, विमान प्रचालन में एक वर्ष का व्यावहारिक रखरखाव अनुभव तथा नियम 133बी के अधीन अनुमोदित प्रशिक्षण संगठन द्वारा संचालित आधारभूत विमान रखरखाव प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पुरा कर लिया हो।
- (iiख) श्रेणी एल के लिए
- (क) संबंधित उप-श्रेणी में रखरखाव गतिविधियों के प्रतिनिधि क्रॉस सेक्शन को समाहित करने वाले विमान के संचालन में दो वर्षों का व्यावहारिक अनुभव; अथवा
- (ख) संबंधित सिस्टम रेटिंग को समाहित करते हुए, विमान प्रचालन में एक वर्ष का व्यावहारिक रखरखाव अनुभव तथा विमान रखरखाव में डिग्री हासिल कर ली हो अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल कर ली हो अथवा नियम 133बी के अधीन मान्यताप्राप्त प्रशिक्षण संगठन द्वारा संचालित आधारभूत विमान रखरखाव प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया हो:

बशर्ते किसी श्रेणी या उप-श्रेणी या किसी श्रेणी या उप-श्रेणी के अंतर्गत या मौजूदा लाइसेंस हेतु सिस्टम रेटिंग में जोड़ने के लिए, श्रेणी, उप-श्रेणी या नई सिस्टम रेटिंग(गों) से प्रासंगिक व्यावहारिक रखरखाव अनुभव, महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्टानुसार होगा:

बशर्ते यह भी कि नागरिक विमान रखरखाव वातावरण में हाल के कम से कम एक साल के पूरक अनुभव के साथ नागरिक विमान रखरखाव वातावरण के बाहर प्रासंगिक श्रेणी में अर्जित बारह वर्षों के व्यावहारिक विमान रखरखाव अनुभव को उपरोक्तानुसार (i) से (iiख) में निर्धारित अपेक्षाओं के समान माना जाएगा";

iii. उप-नियम (11) में, खंड (क) में, शब्दों "पांच वर्षों", जहां कहीं भी वे प्रयुक्त हों के लिए शब्द "दस वर्ष" प्रतिस्थापित होंगे।;

# (iv) उप-नियम(12) में, —

- (क) धारा (ii) में, स्पष्टीकरण (ख) में, शब्दों "श्रेणी बी3" के लिए "श्रेणी बी3 अथवा श्रेणई एल" प्रतिस्थापित होंगे;
- (ख) धारा (iii) के पश्चात, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, नामत:—
- "(iiiक) श्रेणी बी2एल अनुज्ञप्ति धारक को सेवा करने हेतु प्रमाणपत्र जारी करने तथा बिजली प्रणालियों पर रखरखाव संपादित करने के लिए बी2एल सहायक कर्मचारी के तौर पर कार्य करने के लिए, विशेष रूप से लाइसेंस पर समर्थित सिस्टम रेटिंगों की सीमा के भीतर वैमानिकी प्रणाली पर किया गया

रखरखाव; तथा 'एयरफ्रेम सिस्टम' रेटिंग धारण करते समय, ऊर्जा संयंत्र और मैकेनिकल प्रणाली के भीतर इलेक्ट्रिकल और वैमानिकी कार्यों का प्रदर्शन, उनकी सेवाक्षमता साबित करने के लिए केवल सरल परीक्षणों की आवश्यकता होती है।";

(ग) धारा (iv) के पश्चात, निम्नलिखित धारा को जोड़ा जाएगा, नामत:—

"(ivक) श्रेणी एल लाइसेंस धारक को सेवा के लिए रिलीज के प्रमाण पत्र जारी करने और विमान संरचना, बिजली संयंत्र और यांत्रिक और विद्युत प्रणालियों पर किए गए रखरखाव के लिए एल सहायक कर्मचारी के रूप में कार्य करने के लिए; रेडियो, आपातकालीन लोकेटर ट्रांसमीटर (ईएलटी) और ट्रांसपोंडर सिस्टम पर काम करने; और अन्य वैमानिकी प्रणालियों पर सेवाक्षमता साबित करने के लिए सरल परीक्षणों की आवश्यकता होती है।":

(v) उप-धारा (14) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित होगा नामतः—

"(14) पुराने प्रारूप में वैध विमान रखरखाव इंजीनियर्स अनुज्ञप्ति धारित व्यक्ति को, सीमाओं के साथ अथवा बिना और बिना आगे की परीक्षा के, इस नियम के अधीन उपयुक्त श्रेणी में एक विमान रखरखाव इंजीनियर्स अनुज्ञप्ति जारी की जा सकती है, जो ऐसी शर्तों के अधीन है जो महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट की जाए।";

### ञ. नियम 62 में, -

(i) उप-नियम (1) में, टेबल में, आइटम (ई) के अंतर्गत, क्रम संख्या (i) के लिए, निम्नलिखित को नामतः प्रतिस्थापित किया जाएगा:—

| (i) (क) सामान्य परीक्षा के लिए              | 500 रु. प्रति प्रश्नपत्र  |
|---|---------------------------|
| (ख) आनलाइन परीक्षा के लिए                   | 1500 रु. प्रति प्रश्नपत्र |
| (ग) मांग पर आनलाइन परीक्षा के लिए (ओएलओडीई) | 3,000रु. प्रति प्रश्नपत्र |

".

- (ii) उप-नियम (2) के लिए निम्नलिखित उप-नियम को नामतः प्रतिस्थापित किया जाएगा:—
- "(2) सेवा शुल्क का भुगतान महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्टानुसार इलैक्ट्रानिक माध्यम से किया जाएगा।":
- ट. नियम 84 में, "चौबीस महीनों" शब्दों, जहां-कहीं भी वे प्रयुक्त हों, शब्द "पांच वर्षों" प्रतिस्थापित होंगे;
- ठ. नियम 87 में, उप-नियम (3) के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित होगा, नामत:—
- "(3) सेवा शुल्क का भुगतान महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्टानुसार इलैक्ट्रानिक माध्यम से किया जाएगा।":
- ड. नियम 133बी में,
  - (i) उप-नियम (1) में,—
  - (क) खंड (क) में, उप-खंड (ii) में, "तथा किसी विमान की उड़ान योग्यता को जारी रखना" शब्दों को "विमान संघटकों सहित" शब्दों से बदल दिया जाएगा;
  - (ख) खंड (ख) में, "सतत उड़ान योग्यता प्रबंधन प्रदर्शनी" शब्दों को "संयुक्त उड़ान योग्यता प्रदर्शनी" शब्द तथा "प्रशिक्षण नियम" शब्दों को "प्रशिक्षण नियम एवं अनुरक्षण प्रशिक्षण संगठन प्रदर्शनी" शब्दों से बदल दिया जाएगा;
  - (ii) उप-नियम (3क) के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक जोड़े जाएंगे, नामतः :—

"बशर्ते कि अनुसूचित यात्री हवाई परिवहन सेवा के अलावा अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा में लगे विमान के रखरखाव के लिए उप-नियम (3) के अंतर्गत प्रदान किया गया अनुमोदन, जब तक कि निलंबित या रद्द न किया गया हो, महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट अपेक्षाओं का पालन करने पर अधिक से अधिक दस वर्षों की अविधि के लिए वैध रहेगा तथा संतुष्ट होने पर, महानिदेशक दस वर्षों की अतिरिक्त अविध के लिए अनुमोदन का नवीनीकरण कर सकते हैं।";

### (ण) नियम 133ग में, —

- (i) उप-नियम (1) में, "किसी भी निरीक्षण, परीक्षा या परीक्षण आयोजित करने के लिए" शब्दों का हटा दिया जाएगा;
- (ii) उप-नियम (2क) में, "उप-नियम (1) में उल्लिखित निरीक्षण, परीक्षा या परीक्षण" शब्दों के लिए, "अनुदान या नवीनीकरण या अनुमोदन के विस्तार के लिए निरीक्षण, लेखा परीक्षा या निगरानी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (iii) उप-नियम (2बख) में, "निरीक्षण" शब्द के स्थान पर, "यह निरीक्षण" शब्द एवं "अनुमोदन" शब्द के स्थान पर, "अनुमोदन या स्वीकृति या नवीनीकरण" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (iv) उप-नियम (4) में, "भुगतान" शब्दों के स्थान पर "इलेक्ट्रॉनिक रूप से भुगतान किया गया" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
- (त) नियम 134(क) में, उप-नियम(5) में, खंड (ग) के पश्चात, "या" शब्द जोड़ा जाएगा तथा ऐसे खंड (ग) के पश्चात, निम्नलिखित खंड को जोड़ा जाएगा, नामतः :—
  - "(घ) गैर-अनुसूचित परिचालक पर्मिट धारक की सुरक्षा मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है या अस्वीकार कर दिया गया है,";

# (थ) नियम 154 में,—

- (i) खंड (क) में, "निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण" शब्दों को "विमान का निरीक्षण, प्रमाणीकरण तथा उदानयोग्यता प्रबंधन" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) खंड (क) में, "'परिचालकों' रखरखाव प्रणाली नियम' या 'परिचालक' गुणवत्ता नियंत्रण नियम' विराम चिह्न तथा शब्दों को, "'परिचालक' सतत उड़ानयोग्यता प्रबंधन प्रदर्शनी' या 'गुणवत्ता नियम" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

# (द) नियम 155क में, —

- (i) उप-नियम (2) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियमों को जोड़ा जाएगा, नामतः :—
  - "(2क) उप-नियम (2) के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन, जब तक कि निलंबित या रद्द न किया गया हो, नियम 134 के तहत जारी किए गए हवाई परिचालक प्रमाणपत्र धारक एवं अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा में कार्यरत व्यक्ति के मामले में अधिक से अधिक दस वर्षों की अविध के लिए वैध रहेगा तथा संतुष्ट होने पर, महानिदेशक दस वर्षों की अतिरिक्त अविध के लिए अनुमोदन का नवीनीकरण कर सकते हैं।
  - (2ख) उप-नियम (2) के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन, जब तक कि निलंबित या रद्द न किया गया हो, नियम 134 के तहत जारी किए गए हवाई परिचालक प्रमाणपत्र एवं अनुसूचित यात्री हवाई परिवहन सेवा में कार्यरत या नियम 134क के तहत जारी जारी किए गए गैर-अनुसूचित प्रचालक परिमट-धारक व्यक्ति के मामले में अधिक से अधिक पाँच वर्षों की अविध के लिए वैध रहेगा तथा संतुष्ट होने पर, महानिदेशक पाँच वर्षों की अतिरिक्त अविध के लिए अनुमोदन का नवीनीकरण कर सकते हैं।
  - (2ग) उप-नियम (2) के तहत प्रदान किया गया अनुमोदन, जब तक कि निलंबित या रद्द न किया गया हो, नियम 134ख के तहत जारी किए प्राधिकार-धारक व्यक्ति के मामले में अधिक से अधिक दो वर्षों की अवधि

- के लिए वैध रहेगा तथा संतुष्ट होने पर, महानिदेशक दो वर्षों की अतिरिक्त अविध के लिए अनुमोदन का नवीनीकरण कर सकते हैं।":
- (ii) उप-नियम (3) में, खंड (ख) में, "नागर विमानन विभाग" शब्दों को "नागर विमानन महानिदेशालय" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ध) नियम 155-क के उपरांत, निम्नलिखित नियम को जोड़ा जाएगा, नामतः -
  - "155-ख. शुल्क (1) नियम 155-क के अंतर्गत अनुमोदन प्रदान करने हेतु निम्नलिखित शुल्क देय होगा, निजी स्वामी के अलावा किसी परिचालन के संबंध में:
  - (i) नियम 134 के तहत जारी किया गया अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा के परिचालन हेतु हवाई परिचालक प्रमाणपत्र या नियम 134 के अंतर्गत अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा के प्रचालन हेतु जारी किया गया हवाई परिचालक प्रमाणपत्र-धारक व्यक्ति जो किसी विमान की सतत उड़ानयोग्यता प्रबंधन में शामिल हो: 8 लाख रुपए
  - (ii) नियम 134 के तहत जारी किया गया अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा के परिचालन हेतु हवाई परिचालक प्रमाणपत्र या नियम 134 के अंतर्गत अनुसूचित यात्री हवाई परिवहन सेवा के परिचालन हेतु जारी किया गया हवाई परिचालक प्रमाणपत्र-धारक व्यक्ति जो किसी विमान की सतत उड़ानयोग्यता प्रबंधन में शामिल हो: 4 लाख रुपए
  - (iii) नियम 134क के तहत जारी किया गया गैर-अनुसूचित परिचालक पर्मिट या नियम 134-क के अंतर्गत गैर-अनुसूचित परिचालक परमिट-धारक व्यक्ति जो किसी विमान की सतत उड़ानयोग्यता प्रबंधन में शामिल हो: 2 लाख रुपए
  - (iv) नियम 134ख के तहत जारी किया गया प्राधिकार या नियम 134ख के अंतर्गत प्राधिकार-प्राप्त व्यक्ति जो किसी विमान की सतत उड़ानयोग्यता प्रबंधन में शामिल हो: 2 लाख रुपए
  - (2) नियम 155क के तहत अनुमोदन के दायरे के नवीनीकरण या विस्तार का शुल्क उप-नियम (1) के अंतर्गत देय शुल्क का पचास प्रतिशत होगा।
  - (3) शुल्क महानिदेशक द्वारा निर्दिष्ट प्रणाली के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भुगतान किया जाएगा।";

# (न) अनुसूची II में, -

- (i) अनुच्छेद 8-क के उपरांत, भाग क में, निम्नलिखित अनुच्छेद जोड़ा जाएगा, नामतः: -
- "9. नवीनीकरण नियम 42 एवं अनुसूची II के संबंधित भाग के अंतर्गत निर्धारित किए गए अपेक्षाओं का आवेदक द्वारा अनुपालन करने का संतोषजनक प्रमाण प्राप्त होने पर लाइसेंस एवं रेटिंग का नवीनीकरण किया जा सकता है।"
- (ii) भाग म में, अनुच्छेद 3 हटा दिया जाएगा;
- (iii) भाग ट में, -
- (क) अनुच्छेद (1) में, खंड (ङ) में, उप-खंड (iv) में, "जो इससे कम नहीं" शब्दों को, "जो इससे अधिक नहीं" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ख) अनुच्छेद (1) में, खंड (ज) के अंत के क्रम में, निम्नलिखित पाठ को जोड़ा जाएगा, नामतः :-
- "तथापि, महानिदेशक, हेलीकॉप्टर के विशिष्ट प्रकार के लिए अनुमोदित फ्लाइट सिम्युलेटर पर कौशल परीक्षण या उस प्रक्रिया के अंश के संचालन की अनुमित दे सकते हैं।";
- (ग) अनुच्छेद (6) में, प्रथम परंतुक में, "परीक्षक के संतुष्टि के अनुसार पाँच टेक-ऑफ एवं पाँच अवतरण पैटर्न तथा एक मार्ग निरीक्षण" शब्दों को "दस टेक-ऑफ एवं दस अवतरण पैटर्न" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

### (iv) भाग न में, -

- (क) अनुच्छेद (1) में, खंड (छ) के अंत के क्रम में, निम्नलिखित पाठ को जोड़ा जाएगा, नामत::-
- "तथापि, महानिदेशक, हेलीकॉप्टर के विशिष्ट प्रकार के लिए अनुमोदित फ्लाइट सिम्युलेटर पर कौशल परीक्षण या उस प्रक्रिया के अंश के संचालन की अनुमति दे सकते हैं।";
- (ख) अनुच्छेद (3) में, खंड (घ) में, "लाइसेंस" शब्द को, "लाइसेंस अथवा महानिदेशक द्वारा नियत अनुमोदित फ्लाइट सिमुलटर" शब्द तथा विराम चिह्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ग) अनुच्छेद (6) में, प्रथम परंतुक में, "चेक पायलट" शब्दों के लिए, "परीक्षक, प्रशिक्षक अथवा चेक पायलट" का प्रयोग किया जाएगा एवं प्रथम परंतुक के पश्चात, निम्न परंतुक जोड़ा जाएगा, नामतः :-

"बशर्ते कि एक पायलट के पास 5700 किलोग्राम से अधिक वजन वाले हेलीकॉप्टरों के पायलट-इन-कमांड के रूप में कम से कम 100 घंटे का पूर्व अनुभव होने की स्थिति में, रूट चेक की आवश्यक संख्या को छह तक कम किया जा सकता है, जिसमें से कम से कम तीन रात तक होगा:";

# (v) भाग (त) में, -

- (क) अनुच्छेद (2) में, खंड (ख) में, "उपकरण रेटिंग उड़ान परीक्षण" शब्दों को, "उपकरण रेटिंग नवीनीकरण जांच" के साथ बदला जाएगा।
- (ख) अनुच्छेद (3) में, खंड (क) में, निम्नलिखित धारा को बदला जाएगा, नामतः :-
- "(क) परीक्षक/ प्रशिक्षक के साथ अथवा महानिदेशक द्वारा नियत अनुमोदित फ्लाइट सिम्युलेटर पर हेलीकॉप्टर पर उपकरण रेटिंग नवीनीकरण जांच को संतोषजनक ढंग से पूरा करने के बाद।
- (प) अनुसूची VI-ख में, अनुच्छेद 2 में, तालिका 2 में, -
  - (i) प्रविष्टि 39 के पश्चात, निम्न प्रविष्टि को जोड़ा जाएगा, नामतः :-

| 39-क. | नियम 38-ग के उप-    | नियम 38-ग का उप- | स्तर 3 |
|-------|---------------------|------------------|--------|
|       | नियम (1) का उल्लंघन | नियम (1)         |        |

(ii) प्रविष्टि 41 के पश्चात, निम्न प्रविष्टि को जोड़ा जाएगा, नामतः :-

| 41-क. | नियम 41-ग के उप-    | नियम 41-ग का उप- | स्तर 5 |
|-------|---------------------|------------------|--------|
|       | नियम (4) का उल्लंघन | नियम (4)         |        |

[फ़ा. सं. एवी-11012/1/2021-डीजी] सत्येंद्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव,

नोट - मूल नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 23 मार्च, 1937 के अधिसूचना संख्या V-26 के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे एवं जिसे अंतिम बार दिनांक 13 मई, 2021 के जीएसआर 327 (ई) के माध्यम से संशोधित करके भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में दिनांक 1 मई, 2021 को प्रकाशित किया गया था।

.,

#### MINISTRY OF CIVIL AVIATION

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th September, 2021

**G.S.R.** 679(E).—The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 4 and 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General of Civil Aviation, Opposite Safdarjung Airport, New Delhi-110003 or mailed to dgoffice.dgca@nic.in;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

#### **Draft Rules**

- 1. (1) These rules may be called the Aircraft (.....Amendment) Rules, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Aircraft Rules, 1937, —

### A. in rule 3, —

- (i) the clause (11) shall be numbered as clause (10D) and after clause (10D) as so re-numbered, the following clause shall be inserted, namely:—
  - "(11) "Basic Instrument Flight Trainer" means a device which is equipped with appropriate instruments, and which simulates the flight deck environment of an aircraft in flight in instrument flight conditions;";
- (ii) the clause (21A) shall be numbered as clause (21AA) and before clause (21AA) as so re-numbered, the following clause shall be inserted, namely:—
  - "(21A) "Flight Dispatcher" means a person designated by the operator to engage in the control and supervision of flight operations, who supports, briefs and assists the pilot-in-command in the safe conduct of the flight;";
- (ii) after clause (21C), the following clauses shall be inserted, namely:—
  - "(21D) "Flight Procedures Trainers" means a device which provides a realistic flight deck environment, and which simulates instrument responses, simple control functions of mechanical, electrical, electronic etc., aircraft systems, and the performance and flight characteristics of aircraft of a particular class;
  - (21E) "Flight Simulator" means a device which provides an accurate representation of the flight deck of a particular aircraft type to the extent that the mechanical, electrical, electronic etc., aircraft systems control functions, the normal environment of flight crew members, and the performance and flight characteristics of that type of aircraft are realistically simulated;
  - (21F) "Flight Simulation Training Device" means Flight Simulator, Flight Procedures Trainers or Basic Instrument Flight Trainer in which flight conditions are simulated on the ground;";
- (iii) for clause (33C), the following clause shall be substituted, namely:—
  - "(33C) "Maintenance" means the performance of tasks on an aircraft, engine, propeller or associated part required to ensure the continuing airworthiness of an aircraft, engine, propeller or associated part including any one or combination of overhaul, inspection, replacement, defect rectification, and the embodiment of a modification or repair;";
  - (iv) for clauses (48AA) and 48(B), the following clauses shall be substituted, namely:—

- "(48AA) "Safety" means the state in which the risks associated with aviation activities, related to, or in direct support of the operation of aircraft, are reduced and controlled to an acceptable level.
- Explanation. For the purposes of this clause, "acceptable level" is the minimum degree of safety that must be assured by a system in actual practice;
- (48B) "Safety Data" means a defined set of facts or set of safety values collected from various aviation-related sources, which is used to maintain or improve safety;
- (48C) "Safety Information" means safety data processed, organised or analysed in a given context so as to make it useful for safety management purposes;
- (48D) "Safety Oversight" means a function performed by a State to ensure that individuals and organisations performing an aviation activity comply with safety related national laws and regulations.;"
- B. the rule 29(D) shall be numbered as 29D and after rule 29D as so re numbered, the following rules shall be inserted, namely:—
  - **"29E. Mandatory safety reporting system.**—The Directorate General of Civil Aviation shall establish a mandatory safety reporting system to facilitate collection of safety data and safety information on actual or potential safety deficiencies and specify the procedure for the same.
  - **29F.** Voluntary safety reporting system.— (1) The Directorate General of Civil Aviation shall establish a voluntary safety reporting system to facilitate collection of safety data and safety information on actual or potential safety deficiencies that may not be captured by the mandatory safety reporting system established under rule 29E.
  - (2)The voluntary safety reporting system established under sub-rule (1) shall be non-punitive and afford protection to safety data captured by, and safety information derived from, voluntary safety reporting system and related sources. If considered expedient by the Central Government, the safety data and safety information may be collected through any other agency.
  - (3) The safety data and safety information so collected under sub-rule (1) shall be handled in a manner so as to prevent its use for purposes other than safety, and shall appropriately be safe guarded and the confidentiality about the identity of the person making report shall be maintained.";
- C. in rule 30, after sub-rule (1A), the following rule shall be inserted, namely:—
  - "(1B) The Central Government may, on receipt of application along with the prescribed fee, reserve a registration mark for a period of one year, which may be further extended for one year at a time.";
- D. in rule 35, for sub-rule (4), the following sub-rules shall be substituted, namely:—
  - "(3B) A fee of rupees 10,000/- shall be payable for reserving a registration mark and such reservation may further be extended on payment of rupees 10,000/- at a time.
  - (4) The fee shall be paid electronically in the manner as specified by the Director-General.";
- E. after rule 38B, the following sub-rules shall be inserted, namely:—
  - **"38C. Flight Dispatcher Approval.** (1) No operator shall assign duties to a person as a flight dispatcher without prior approval of the Director-General.
  - (2) An operator may apply along with prescribed fee to the Director-General for obtaining approval of flight dispatcher.
  - (3) The Director General may specify the requirements for approval of Flight Dispatcher.
  - (4) The Director-General may, on being satisfied that a person has met all the requirements to act as a flight dispatcher, grant an approval of flight dispatcher to operator.

- (5) The approval granted under sub-rule (4), unless suspended or cancelled, shall remain valid for a period not exceeding five years, and on being satisfied, the Director General may renew it for a further period not exceeding five years at a time.
- (6) Fee for approval as flight dispatcher shall be rupees five thousand only and fee for renewal of flight dispatcher approval shall be rupees two thousand five hundred only.
- (7) The fee shall be paid electronically in the manner as specified by the Director-General.";
- F. in rule 39C, in sub-rule (1), for table, following table shall be substituted, namely:—

| S. No. | Category of licence  | Validity of medical fitness assessment | Validity of licence  |
|--------|--|--|--|
| (1)    | (2)  | (3)                                    | (4)  |
| (i)    | Airline Transport Pilot's Licence (aeroplanes or helicopters)  | Twelve months                          | Ten years  |
| (ii)   | Commercial Pilot's Licence (aeroplanes or helicopters) and Flight Navigator's Licence  | Twelve months                          | Ten years  |
| (iii)  | Flight Radio Telephone Operator's Licence  | Twelve months                          | up to the<br>validity of<br>Radio<br>Telephone<br>Restricted |
| (iv)   | Student Pilot's Licence (aeroplanes or helicopters or gyroplanes or microlight aircraft or light sport aircraft or gliders or balloons), Student Flight Navigator's Licence and Student Flight Engineer's Licence                                      | Twenty-four months                     | Ten years  |
| (v)    | Private Pilot's Licence (aeroplanes or helicopters), Pilot's<br>Licence (microlight aircraft or gyroplanes or light sport<br>aircraft or gliders or balloons), Flight Radio Telephone<br>Operator's Licence (Restricted) and Flight Engineer's Licence | Twenty-four months                     | Ten years  |

- G. in rule 41A, after sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely:—
  - "(3A) The Director General may specify the requirements for approval of Check pilots and Examiners.
  - (3B) The approval granted under sub-rule (3), unless suspended or cancelled, shall remain valid for a period not exceeding five years, and on being satisfied, the Director General may renew it for a further period not exceeding five years at a time.
  - (3C) The Director General may also appoint examiners for standardization check of check pilots and examiners approved under Sub-Rule (3) and specify the manner in which such checks shall be carried out.";
- H. in rule 41B,—
- i. in the heading, for the word "Approved", the word "Flying" shall be substituted;
- ii. in sub-rule (4), in clause (c), for the words "period of two years", the words "period not exceeding five years" shall be substituted and proviso shall be omitted;

[भाग II—खण्ड 3(i)] भारत का राजपत्र : असाधारण 17

- iii. for sub-rule (5), the following shall be substituted, namely:—
  - "(5) The fee shall be paid electronically in the manner as specified by the Director-General.";
- I. after rule 41B, the following rule shall be inserted, namely:—

#### "41C. Flight Simulation Training Device Qualification Certificate. —

1. An organisation may apply along with prescribed fee to the Director-General for a Qualification Certificate of Flight Simulation Training Device or for the validation of a Qualification Certificate issued by the Civil Aviation Authority of a Contracting State in respect of a Flight Simulation Training Device.

Explanation. — For the purpose of this sub-rule, the organisation means:

- (a) an Operator;
- (b) a Training Organisation approved under these rules; or
- (c) a Training Organisation approved by civil aviation authority of a contracting state for operating and maintaining Flight Simulation Training Device.
- (2) The Director-General may specify the requirements for Qualification Certificate or validation of Flight Simulation Training Device and the type of trainings which can be imparted on such devices.
- (3) The Director-General may on being satisfied that it met all the requirements, issue a Qualification Certificate or validate the Qualification Certificate of Flight Simulation Training Device issued elsewhere, as the case may be.
- (4) No airline operator shall use such qualified or validated Flight Simulation Training Device for the training of their personnel without obtaining written permission from the Director-General in the form and manner as specified by him.
- (5) If the Director–General is satisfied that there is sufficient ground for doing so, after giving him an opportunity of being heard and reasons to be recorded in writing, may suspend or cancel such certificate or validation, as the case may be.
- (6) The Qualification Certificate or validation granted under sub-rule (3), unless suspended or cancelled, shall remain valid for a period not exceeding two years, and on being satisfied, the Director General may renew it for a further period not exceeding two years at a time.
- (7) Fee for Qualification Certificate or validation of Flight Simulation Training Device for aircraft type having maximum permissible take-off weight more than 5700 Kilograms shall be rupees two lakh only and for renewal of such certificate or validation, as the case may be, the fee shall be rupees one lakh only.
- (8) Fee for Qualification Certificate or validation of Flight Simulator Training Device for aircraft type having maximum permissible take-off weight up to 5700 Kilograms shall be rupees one lakh only and for renewal of such certificate or validation, as the case may be, the fee shall be rupees fifty thousand only.
- (9) An additional amount of two lakh fifty thousand rupees or cost of travel including per diem, whichever is higher, shall be payable if the inspection, audit or surveillance in respect of issue or renewal of validation of Qualification Certificate of a Flight Simulator Training Device is required to be carried out at any place outside of India.
- (10) The fee shall be paid electronically in the manner as specified by the Director-General.";
- J. in rule 42,
  - (i) in sub-rule (1), in first proviso, for the word "may be required to qualify", the word "shall be required to requalify" shall be substituted;

- (ii) after sub-rule (4), the following sub-rule shall be inserted, namely:—
- "(5) In case where the privileges of the licence has not been exercised during the validity period of licence, for a period exceeding 03 years, the applicant shall be required to requalify in examinations and skill tests required for issue of such licence before exercising the privileges of such licence.";
- (H) in rule 48,
  - (i) in sub-rule (1), for clause (ix), the following clauses shall be substituted, namely:—

| (ix) | Where the examination is conducted online: Rs: 2500 per paper           |  |
|------|---|--|
| (x)  | Where the examination is conducted online on demand: Rs. 5000 per paper |  |

(ii) in sub-rule (2), except the entries (i) to (iv), for heading text, the following text shall be substituted, namely:—

"For all flying tests, the candidate or operator, as the case may be, shall be required to provide the aircraft or flight simulator and bear all charges in this respect, and if a Government Examiner is carried on board during the flying test or standardization check, the following fee shall be payable to the Central Government, namely: —";

- (iii) for sub-rule (2A), the following sub-rules shall be substituted, namely:—
- "(2A) For Approval or Renewal of Check Pilots or Examiners, the following fee shall be payable, namely: —
- (i) Approval of Check pilots or Examiners: Rs. 10,000/-
- (ii) Renewal of Check pilots or Examiners: Rs. 5,000/-
- (2AA) The fee shall be paid electronically in the manner as specified by the Director-General.";
- I. in rule 61, —
- i. for sub-rules (3), (4) and (4A), the following sub-rules shall be substituted, namely:—
  - "(3) The Aircraft Maintenance Engineer's licence may be granted in the following categories and sub-categories, as applicable, namely: —
  - (a) Category A, classified into the following sub-categories:
    - (i) A1 Aeroplanes Turbine;
    - (ii) A2 Aeroplanes Piston;
    - (iii) A3 Helicopters Turbine;
    - (iv) A4 Helicopters Piston.
    - (b) Category B1, classified into the following sub-categories:
    - (i) B1.1 Aeroplanes Turbine;
    - (ii) B1.2 Aeroplanes Piston;
    - (iii) B1.3 Helicopters Turbine;

- (iv) B1.4 Helicopters Piston.
- (c) Category B2, applicable to all aircraft.
- (d) Category B2L, applicable to all aircraft shall be issued with the 'system rating(s)' as specified by the Director General.
- (e) Category B3, applicable to piston-engine non-pressurised aeroplanes of 2000 kg Maximum Take-off Mass (MTOM) and below.
- (f) Category L, classified into the following sub-categories:
  - (i) L1C: Composite sailplanes
  - (ii) L1: sailplanes
    - (iii) L2C: composite powered sailplanes and composite ELA1 aeroplanes
  - (iv) L2: powered sailplanes and ELA1 aeroplanes
  - (v) L3H: hot-air balloons
  - (vi) L3G: gas balloons
  - (vii) L4H: hot-air airships
  - (viii) L4G: ELA2 gas airships
  - (ix) L5: gas airships other than ELA2

Note: ELA1 and ELA2 means a manned aircraft as specified by the Director-General.

- (g) Category C, applicable to aeroplanes and helicopters.";
- (4) The holder of an aircraft maintenance licence shall have his licence endorsed with the relevant rating(s) for exercising the certification privileges as laid down in sub-rule (12) of this rule:
  - (i) For Category B1, B2, B2L, C and L, the relevant aircraft or system ratings shall be as specified by the Director-General.
  - (ii) For category B3, the relevant rating shall be 'piston-engine non-pressurised aeroplanes of 2000 kg MTOM and below'.
  - (iii) For category A, no rating shall be endorsed.";
- ii. in sub-rule (5), in clause (d), for sub-clauses (i) and (ii), the following sub-clauses shall be substituted, namely:—
  - "(d) he shall have the following minimum practical experience, namely:-
    - (i) for Category A, Sub-categories B1.2, B1.4 and Category B3
    - (A) three years of practical aircraft maintenance experience on operating aircraft; or
    - (B) two years of practical maintenance experience on operating aircraft, covering the corresponding system rating(s), and having acquired a Degree in Aircraft Maintenance or Degree in Engineering from a recognized University; or
    - (C) one year of practical maintenance experience on operating aircraft, covering the corresponding system rating(s), and having successfully completed basic aircraft maintenance training conducted by a training organization approved under rule 133B.
    - (ii) for Sub-categories B1.1 and B1.3 and Category B2
    - (A) five years of practical aircraft maintenance experience on operating aircraft; or
    - (B) three years of practical maintenance experience on operating aircraft, covering the corresponding system rating(s), and having acquired a Degree in Aircraft Maintenance or Degree in Engineering from a recognized University; or

- (C) two year of practical maintenance experience on operating aircraft, covering the corresponding system rating(s), and having successfully completed basic aircraft maintenance training conducted by a training organization approved under rule 133B. (iia) for category B2L
- (A) three years of practical maintenance experience in operating aircraft, covering the corresponding system rating(s), if the applicant has no previous relevant technical training; or
- (B) two years of practical maintenance experience on operating aircraft, covering the corresponding system rating(s), and having acquired a Degree in Aircraft Maintenance or Degree in Engineering from a recognized University; or
- (C) one year of practical maintenance experience on operating aircraft, covering the corresponding system rating(s), and having successfully completed basic aircraft maintenance training conducted by a training organization approved under rule 133B.
- (iib) for category L
- (A) two years of practical experience in operating aircraft covering a representative cross section of maintenance activities in the corresponding sub-category; or
- (B) one years of practical maintenance experience on operating aircraft, covering the corresponding system rating(s), and having acquired a Degree in Aircraft Maintenance or Degree in Engineering from a recognized University or successfully completed basic aircraft maintenance training conducted by a training organization approved under rule 133B:

Provided that for the addition of a category or a sub-category or addition within a category or a sub-category or a system rating to an existing licence, the practical maintenance experience relevant to the category, sub-category or new system rating(s) shall be as specified by the Director General:

Provided also that twelve years of practical aircraft maintenance experience acquired outside a civil aircraft maintenance environment in the relevant category supplemented by at least one year of recent experience in civil aircraft maintenance environment, shall be treated as equivalent to the requirements laid down in (i) to (iib) above.";

- iii. in sub-rule (11), in clause (a), for words "five years", where ever they occur, the words "ten years" shall be substituted.;
  - (iv) in sub-rule (12), —
  - (a) in clause (ii), in Explanation (b), for words "Category B3", the words "Category B3 or Category L" shall be substituted;
  - (b) after clause (iii), the following clause shall be inserted, namely:—
  - "(iiia) Category B2L licence holder to issue certificates of release to service and to act as B2L support staff for the maintenance performed on electrical systems; maintenance performed on avionics systems within the limits of the system ratings specifically endorsed on the licence; and when holding the 'airframe system' rating, performance of electrical and avionics tasks within power plant and mechanical systems, requiring only simple tests to prove their serviceability.";
  - (c) after clause (iv), the following clause shall be inserted, namely:—
  - "(iva) Category L licence holder to issue certificates of release to service and to act as L support staff for maintenance performed on aircraft structure, power plant and mechanical and electrical systems; work on radio, Emergency Locator Transmitters (ELT) and transponder systems; and work on other avionics systems requiring simple tests to prove their serviceability.";
  - (v) for sub-rule (14), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
    - "(14) A person holding a valid Aircraft Maintenance Engineers Licence in the old format may be issued, with or without limitation and without further examination, an Aircraft Maintenance Engineers Licence in the appropriate category under this rule subject to such conditions as may be specified by the Director-General.";

### J. in rule 62, —

(i) in sub-rule (1), in the TABLE, under item (E), for serial number (i), the following shall be substituted, namely:—

| I | (i) | (a) for normal examination               | Rs. 500 per paper   |
|---|-----|--|---------------------|
|   |     | (b) for online examination               | Rs 1500 per paper   |
|   |     | (c) online on demand examination (OLODE) | Rs. 3,000 per paper |

- (ii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—
- "(2) The fee shall be paid electronically in the manner as specified by the Director-General.";
- K. in rule 84, for words "twenty-four months", wherever they occur, the words "five years" shall be substituted;
- L. in rule 87, for sub-rule (3) the following rule shall be substituted, namely:—
  - "(3) The fee shall be paid electronically in the manner as specified by the Director-General.";
- M. in rule 133B,
  - (i) in sub-rule (1),—
  - (a) in clause (a), in sub-clause (ii), for the words "and continuing airworthiness management of an aircraft", the words "including aircraft components" shall be substituted;
  - (b) in clause (b), for the words "Continuing Airworthiness Management Exposition", the words "Combined Airworthiness Exposition" and for the words "Training Manual", the words "Training Manual and Maintenance Training Organisation Exposition" shall be substituted;
  - (ii) after sub-rule (3A), the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that an approval granted under sub-rule (3) for the maintenance of aircraft engaged in scheduled air transport service other than scheduled commuter air transport service, unless suspended or cancelled, shall remain valid for a period not exceeding ten years on complying the requirements as specified by the Director General and on being satisfied, the Director General may renew the approval for a further period of ten years.";

#### (O) in rule 133C, —

- (i) in sub-rule (1), the words "for any inspection, examination or test to be conducted" shall be omitted;
- (ii) in sub-rule (2A), for the words "inspection, examination or test mentioned in sub-rule (1)", the words "inspection, audit or surveillance for the grant or renewal or extension of approval" shall be substituted;
- (iii) in sub-rule (2B), for the word "inspection", the words "the inspection" and for the word "approval", the words "approval or renewal of acceptance" shall be substituted;
- (iv) in sub-rule (4), for the words "paid", the words "paid electronically" shall be substituted;
- (P) in rule 134A, in sub-rule (5), after clause (c), the word "or", shall be inserted and after such clause (c), the following clause shall be inserted, namely:—

"(d) the security clearance of the holder of Non-Scheduled Operator's Permit has been withdrawn or denied by the Central Government,";

#### (Q) in rule 154,—

- (i) in clause (a), for the words "inspection and certification", the words "inspection, certification and continuing airworthiness management of an aircraft" shall be substituted;
- (ii) in clause (a), for the punctuations and words "'Operators' Maintenance System Manual' or 'Operators' Quality Control Manual", the punctuations and words "'Operators' Continuing Airworthiness Management Exposition' or 'Quality Manual'" shall be substituted;

#### (R) in rule 155A, —

- (i) after sub-rule (2), the following sub-rules shall be inserted, namely:—
  - "(2A) The approval granted under sub-rule (2), unless suspended or cancelled, shall remain valid for a period not exceeding ten years in case of a person holding an air operator certificate issued under rule 134 and engaged in scheduled air transport service and on being satisfied, the Director General may renew the approval for a further period of ten years.
  - (2B) The approval granted under sub-rule (2), unless suspended or cancelled, shall remain valid for a period not exceeding five years in case of a person holding an air operator certificate issued under rule 134 and engaged in scheduled commuter air transport service or a Non-Scheduled Operator's Permit issued under rule 134A and on being satisfied, the Director General may renew the approval for a further period of five years.
  - (2C) The approval granted under sub-rule (2), unless suspended or cancelled, shall remain valid for a period not exceeding two years in case of a person holding an authorisation issued under rule 134B and on being satisfied, the Director General may renew the approval for a further period of two years.";
- (ii) in sub-rule (3), in clause (b), for words "Civil Aviation Department" the words "Directorate General of Civil Aviation" shall be substituted;
- (S) after rule 155A, the following rule shall be inserted, namely:—
  - **"155B. Fee.-** (1) The following fee shall be payable for grant of approval under rule155A, in respect of an operator other than a private owner:
  - (i) person holding an air operator certificate to operate scheduled air transport service issued under rule 134 or involved in continuing airworthiness management of an aircraft of a person holding an air operator certificate to operate scheduled air transport service issued under rule 134: Rupees 8 lakh
  - (ii) person holding an air operator certificate to operate scheduled commuter air transport service issued under rule 134 or involved in continuing airworthiness management of an aircraft of a person holding an air operator certificate to operate scheduled commuter air transport service issued under rule 134: Rupees 4 lakh
  - (iii) person holding a Non-Scheduled Operator's Permit issued under rule 134A or involved in continuing airworthiness management of an aircraft of a person holding a Non-Scheduled Operator's Permit issued under rule 134A: Rupees 2 lakh
  - (iv) person holding an authorisation issued under rule 134B or involved in continuing airworthiness management of an aircraft of a person holding an authorisation issued under rule 134B: Rupees 2 lakh
  - (2) The fee for renewal or extension of scope of approval under rule 155A shall be fifty percent of the fee payable under sub-rule (1).
  - (3) The fee shall be paid electronically in the manner as specified by the Director-General.";

#### (T) in Schedule II, -

(i) in Section A, after paragraph 8A, the following paragraph shall be inserted, namely:—

- "9. Renewal. Licence and rating may be renewed on receipt of satisfactory evidence of the applicant having complied with requirements as laid down under rule 42 and respective section of schedule II."
- (ii) in Section Y, paragraph 3 shall be omitted;
- (iii) in Section K, —
- (a) in paragraph (1), in clause (e), in sub-clause (iv), for the words "which not less than", the words "which not more than" shall be substituted;
- (b) in paragraph (1), in continuation at the end of clause (h), the following text shall be inserted, namely:—
  - "The Director-General may, however, allow Skill Test or part thereof to be carried out on an approved flight simulator for the type of helicopter.";
- (c) in paragraph (6), in first proviso, for the words "five take-offs and five landing patterns and one route check to the satisfaction of an Examiner", the words "ten take-offs and ten landing patterns" shall be substituted:
- (iv) in Section N,
  - (a) in paragraph (1), in continuation at the end of clause (g), the following text shall be inserted, namely:—
  - "The Director-General may, however, allow Skill Test or part thereof to be carried out on an approved flight simulator for the type of helicopter.";
  - (b) in paragraph (3), in clause (d), for the word "licence", the words and punctuation "licence or on an approved flight simulator allowed by the Director- General," shall be substituted;
  - (c) in paragraph (6), in first proviso, for the words "a Check Pilot", the words "an Examiner or Instructor or Check Pilot" shall be substituted and after first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—
  - "Provided further that in case of a pilot having previous experience of at least 100 hours as Pilot-in-Command of helicopters having all-up weight exceeding 5700 Kilograms, the required number of route checks may be reduced to six out of which at least three shall be by night:";
- (v) in Section P,
  - (a) in paragraph (2), in clause (b), for the words "instrument rating flying test", the words "Instrument Rating Renewal Check" shall be substituted;
  - (b) in paragraph (3), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:—
  - "(a) having satisfactorily completed the Instrument Rating Renewal Check on the helicopter with an Examiner/Instructor or on an approved flight simulator allowed by the Director General.
- (U) in Schedule VIB, in paragraph 2, in Table 2,
  - (i) after entry 39, the following entry shall be inserted, namely:—

| 39A. | Contravention of sub-rule (1) of rule | Sub-rule (1) of rule 38C | Level 3 |
|------|---------------------------------------|--------------------------|---------|
|      | 38C                                   |                          |         |
|      |                                       |                          |         |

,,

(ii) after entry 41, the following entry shall be inserted, namely:—

| 41A. | Contravention of sub-rule (4) of rule | Sub-rule (4) of rule 41C | Level 5 |
|------|---------------------------------------|--------------------------|---------|
|      | 41 C                                  |                          |         |
|      |                                       |                          |         |

[F. No. . AV-11012/1/2021-DG] SATYENDRA KUMAR MISHRA, Jt. Secy.